

प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अन्तरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेने-देने के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डिवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डिवीडी में दर्ज ऑडियो/विडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/विडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय

उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अति आवश्यक है। यह भी जांच की जावे कि कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला

जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अति आवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेने-देने के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल

शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल

प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो

व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉडिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉडिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉडिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉडिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी

ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अति आवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च

न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन



कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां

सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिये पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि

जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु

प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेने-देने के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा

प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को

श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश

पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे कि कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान् महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा

जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेने-देने के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ



आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच

के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में

भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट

संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल

निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका

पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेने-देने के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह

रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अति आवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत

एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिये पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज



ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड

मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार,

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अति आवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेने-देने के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार

के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिये पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है

और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें

माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान् महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में

जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अति आवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह

लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त



घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अति आवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और

कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक

है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेंट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या- 3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ो मामलों में यह रिश्वत ली

जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डीवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखा अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरुद्ध 300/- रुपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय में सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते हैं तो वकीलों को न्याय हित में आदेशों की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रुपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईल से ऑडियो व विडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी जिसमें स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रुपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध में अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नहीं भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगों का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकड़ों मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रुपये मासिक में परिवर्तित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंगन कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंगन परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त

ऑडियो/विडियो रिकॉर्डिंग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं० 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डिवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डिवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च 12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)): First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)): S.No. (क्र.सं.) S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) 3 N